हरियाणा

नियोक्ता व कर्मचारियों के लिए ESIC ने शुरू की स्प्री योजना

HANNY · July 25, 2025 · 4 · 1 minute read

गुड़गांव: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपना सामजिक सुरक्षा दायरा बढाने के लिए नियोक्ता व कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एसपीआरईई योजना-2025 शुरू की है। 27 जून-2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हुई।

ज्ञात हो कि ईएसआईसी की-196 वीं बैठक में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना एक जुलाई से 31 दिसंबर-2025 तक सक्रिय रहेगी। इस अवधि के दौरान अपंजीकृत नियोक्ताओं को एक बार फिर से पंजीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा व एमसीए पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजीटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। ईएसआईसी गुड़गांव के उप क्षेत्रीय प्रभारी सुनील यादव ने योजना का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि यह योजना नियोक्ताओं व कर्मचारियों को पंजीकरण का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। इसमें नियोक्ताओं के हितलाभ संबंधी सभी तरह की जानकारी प्रदान की गई है।

क्या है स्प्री योजना

एसपीआरईई योजना-2025 का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण से बचे हुए प्रतिष्ठानों व श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर पिछली देनदारियों से छूट प्रदान कर नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है। योजना से फायदा होटल, रेस्टोरेंट, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल व् क्लीनिक, नगर निगमों के ठेका/कैजुअल कर्मचारी ठेके पर अस्थायी व दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिक दुकानें व शोरुम, सिनेमा हाल अखवार व मीडिया संस्थान निजी स्कूल व कालेज शामिल है।

योजना की विशेषताएं

– 10 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों के लिए एकमुश्त पंजीकरण।

– पंजीकरण की तिथि वही मानी जाएगी जो नियोक्ता घोषित करें।

– नियम व शर्तों के अनुसार पिछली अवधि का कोई योगदान या दायित्व नहीं।

– ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल व एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध है